



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
भोपाल

क्रमांक...../मप्रविस/न्या.कार्य/2026

भोपाल, दिनांक.....2026

//आदेश//

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय से संबंधित स्थापना एवं अन्य संबद्ध प्रशासनिक विषयों के लिए (विधायी कार्य एवं सदन से संबंधित विषयों को छोड़कर) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में विधिक सेवायें प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अधिवक्ताओं का निम्नानुसार समूह (पैनल) गठित किया जाता है :-

- | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. श्री प्रशांत सिंह | - | महाधिवक्ता (स्पेशल काउंसिल) |
| 2. श्री हरप्रीत सिंह रूपराह | - | अतिरिक्त महाधिवक्ता (Sr. Group A) |
| 3. श्री नीलेश यादव | - | अतिरिक्त अधिवक्ता (Sr. Group A) |
| 4. श्री आकाश चौधरी | - | अधिवक्ता (Sr. Group A) |
| 5. श्री ब्रह्मदत्त सिंह | - | उप महाधिवक्ता (Sr. Group B) |
| 6. श्री स्वप्निल गांगुली | - | उप महाधिवक्ता (Sr. Group B) |
| 7. श्री विवेक शर्मा | - | उप महाधिवक्ता (Sr. Group B) |
| 8. श्री सौरभ सुंदर | - | अधिवक्ता (Sr. Group B) |
| 9. श्री विक्रम सिंह | - | अधिवक्ता (Sr. Group C) |
| 10. श्री गोपी चौरसिया | - | अधिवक्ता (Sr. Group C) |
| 11. श्री आर.बी.एस. चौहान | - | अधिवक्ता (Sr. Group C) |
| 12. श्री सचिन जैन | - | अधिवक्ता (Sr. Group C) |
- यह समूह (पैनल) इस कार्यालय के आदेश के साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के अधीन शासित होगा.
 - यह समूह (पैनल) पूर्णतः व्यावसायिक एवं संविदात्मक प्रकृति का होगा तथा इसे नियमित नियुक्ति अथवा किसी प्रकार की सेवा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा.
 - इस समूह (पैनल) का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जब तक कि इसे पूर्व में समाप्त न कर दिया जाए. निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, यदि विशेष रूप से नवीनीकरण नहीं किया गया गया हो, तो यह स्वतः समाप्त समझा जाएगा.

- इस समूह (पैनल) को प्रकरणों का आवंटन पूर्णतः मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय के विवेकाधिकार में होगा तथा किसी भी स्थिति में प्रकरण विशेष पर रुचि स्वीकार नहीं होगी.
- अधिवक्ताओं को देय शुल्क सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार देय होगा.
- विधायी कार्य तथा सदन संबंधी विषयों से संबंधित प्रकरण मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के क्रियान्वित किये जायेंगे एवं इस समूह के विषयक नहीं होंगे.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है.

हस्ता./-

(प्रमुख सचिव)

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
भोपाल

अनुलग्नक : 1, 2, 3, 4 एवं 5

पृ.क्रमांक - 840/वि.स./स्था./26

भोपाल, दिनांक 19/01/2026

प्रतिलिपि -

1. माननीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा के निज सचिव, माननीय अध्यक्ष कार्यालय, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय के निज सचिव की ओर प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ.
3. श्रीमती अमिता श्रीवास्तव, उप सचिव, म. प्र. विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
4. अवर सचिव (स्थापना), म. प्र. विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा
5. संबंधित अधिवक्ताओं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.


19/1/26

अवर सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा
त्रिवेश गोस्वामी
अवर सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा